

दिनांक 01-02-2021

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित।
खातेदार रामभरोसी रामस्वरूप पि. अर्जुन वगैरा द्वारा विभाजन
स्कीम पर आपत्ति प्रस्तुत की गयी है जिस पर सुना गया तथा
पत्रावली का अवलोकन किया। विभाजन स्कीम खातेदारों के
हिस्सानुसार ही होने के कारण अपत्ति खारिज की जाती है
तथा वाद विभाजन स्कीम के अनुसार अंतिम रूप से डिकी
किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील
दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपरुण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)